न्यायालय–अपर जिला जज, न्यायालय सं०–1, फिरोजाबाद।

उपस्थितः सुनील कुमार सिंह–II.....एच०जे०एस० ID–UP6073

व्यवहार अपील संख्या 52/2022

CNR No. **UPFD010091522022**

1- **अब्दुल अजीज** उम्र करीब 72 साल पुत्र अब्दुल समद।

2- **मुहम्मद इ लाम** उम्र करीब 60 साल पुत्र बशीर अहमद।

साकिनान मौहल्ला गढैया कस्वा व तहसील शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद, मोबाइल नं०- 8445465590 । **––––––––––––––अपीलान्टस।**

बनाम

1- **पप्पू** पुत्र स्व० महेन्द्र सिंह ।

2- **श्रीमती सुमन** पुत्री स्व० महेन्द्र सिंह।

3 **श्रीमती सीमा** पुत्री स्व० महेन्द्र सिंह।

4- **श्रीमती साधना** पुत्री स्व० महेन्द्र सिंह

5- **श्रीमती राधादेवी** पत्नी स्व० कैलाशचन्द्र ।

6- **कल्लू उर्फ अमित** पुत्र स्व० कैलाशचन्द्र ।

7- **मोण्टी** पुत्र स्व० कैलाशचन्द्र ।

8- **गोलू** पुत्र स्व० कैलाशचन्द्र ।

साकिनान मौहल्ला गढैया कस्वा व तहसील शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद।

---------------------------------------**रेस्पोन्डेन्टस।**

निर्णय

1– उपरोक्त अपील अपीलार्थीगण **अब्दुल अजीज आदि** द्वारा, न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) शिकोहाबाद द्वारा मूलवाद संख्या 112/2003 अब्दुल अजीज आदि बनाम श्रीमती राधा देवी आदि में पारित आदेश दिनांकित 16.09.2022 से क्षुब्ध होकर योजित की गयी है।

Digitally signed by SUNIL KUMAR SINGH
Date: 2025.10.31 16:22:29 GMT
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

2– संक्षेप में अपीलार्थीगण का अपील में आधार है कि अदालत ने मिसिल का सही अनुसरण नही किया है वनीज गलत नतीजा निकाला है। अदालत मातहत ने अपना फैसला करते वक्त कानून का सही मुताला नही किया है वनीज गलत नतीज निकाला है। अदालत मारतहत ने अपना फैसला करते वक्त कानू का सही मुताला नही किया है वनीज गलत नतीजा निकाला है। अदालत मातहत ने मिसिल पर मौजूद सबूतों को न तो पढ़ा है और नही उनका हवाला अपने फैसले में दिया है वनीज गलत नतीजा निकाला है। अदालत मातहत ने मिसिल पर मौजूद गवाहान ने व्यानात को नही पढ़ा है और न ही उनका हवाला अपने फैसले में दिया है वनीज गलत नतीजा निकाला है। अदालत मातहत ने मुददैयान के द्वारा दाखिल माननीय उच्च न्यायालयों व माननीय सर्वोच्च न्यायालय की नजीरों को न तो पढ़ा है और नही उनका कोई हवाला अपने फैसले में दिया है वनीज गलत नतीज निकाला है।अदालत मातहत ने अपना फैसला अपने मनमाने ढंग से खिलाफ कानून सुनाया है वनीज गलत नतीज निकाला है। मिसिल पर मौजूद सबूतों से यह अम्र वखूबी साबित है कि मुददैयान ने आराजी निजाई की बाबत दावा हाजा में अपने सबूत के तौर पर बैनामाजात कागजात नम्बरान 50 ग 51 ग 57 ग दाखिल किये हैं इन बैनामाजात में स्पष्ट तहरीर है कि आराजी निजाई मुस्लिम समुदायर के ताजियारखने की आराजी है जिस पर ,सदियों से ताजिया रखते चले आ रहे है लेकिन अदालत मातहत ने दाखिल सुदा बैनामाजात को न तो पढ़ा है और नही उनका कोई हवाला अपने फैसले में दिया है इससे ऐसा मालूम पड़ता है कि अदालत मातहत ने किस दर्भावना से अपना फैसला सबूतों के खिलाफ सुनाया है। आराजी निजाई की वावत अपीलान्ट्स/मुददईयानकी ओर से नाराजगी निजाई की बाबत पहले भी मुकदमावाजी हो चुकी है जिसमें आराजी निजाई को आम मुस्लिमों की ताजिया रखने की आराजी ही माना गया है जिसकी बाबत मुददैयान ने दावा नम्बरी 278 सन 1971 किशोरीलाल बनाम राधादेवी आदि का दावा की नकल कागज संख्या 42 ग व दावा नम्बरी 278 सन् 1971 के बयान तहरीरी की नकल कागज संख्या 43 ग व दावा नम्बरी 278 सन् 1971 के फैसले की नकल कागज संख्या 44 ग एवं दावा नम्बरी 317 सन् 1978 राधादेवी बनाम नूर मुहम्मद आदि के दावा की नकल कागज संख्या 45 ग व दावा नम्बरी 317 सन् 1978 के फैसले की नकल कागज संख्या 46 ग व दावा नम्बरी 317 सन् 1978 के खिलाफ की गयी अपील नम्बरी 196 सन् 1981 के फैसले की नकल कागज नम्बर 47 ग, व दावा नम्बरी 317 सन् 1978 के अपील से रिमान्ड होकर पुनः किया गया फैसला की नकल कागज नम्बर 48 ग ,व पुनः की गयी अपील नं० 67 सन् 1987 के फैसले की नकल कागज संख्या 49 ग ,दाखिल की गयी है। इन फैसलों से माननीय अवर अदालत व

माननीय अपीलीय अदालत द्वारा भी आराजी निजाई को आम मुस्लिमों के ताजिया रखने की आराजी घोषित किया गया है तथा आम मुस्लिम समाज की आराजी मानी गयी लेकिन आदलत मातहत ने इस फैसला को न तो पढ़ा है और नही उनका हवाही ही अपने फैसले में दिया है इससे स्पष्ट है कि माननीय अवर अदालत ने अपना मनमाना फैसला दुर्भावना से सुनाया है जो कि खिलाफ सबूत है तथापेश्तर माननीय अपीलीय अदालत द्वारा दिये गये फैसलो को न मानना अदालत की तोहीन(कन्टेप्ट ऑफ कोर्ट) की परिभाषा में आता है इससे स्पष्ट है कि माननीय अवर न्यायालय ने अपना फैसला पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाते हुए पारित किया है जो कि ठहरने लायक नहीं है। मिसिल पर मौजूद रेस्पोन्डेन्ट के ब्यान से साबित है कि रेस्पोन्डेन्ट किसी भी प्रपत्र से आराजी निजाई के मालिकान न तो कभी रहे और न है लेकिन रेस्पोन्डेन्ट जो भी गवाह में पेश हुआ है ने अपने ब्यान में साफ कहा कि मेरे पास आराजी निजाई के मालिकान का कोई प्रपत्र या सबूत नही है लेकिन अदालत मातहत ने मिसिल में मौजदू गवाहान के बयानों को न तो पढ़ा है और नही उनका कोई हवाला ही दिया ही अपने फैसलें मे दिया है । जब कि गवाहान के बयान को फैसले के वक्त पढ़ा जाना व उनके बयानो का हवाला फैसले में दिया जाना जरूरी है । इसस स्पष्ट होता है कि अदालत मातहत ने अपना फैसला पक्षपात पूर्ण रवैइया अपनाते हुए दुर्भावना से पारित किया है जो कि खिलाफ कानून व प्रावधान के हैं। अदालत द्वारा अपने फैसले में यह लिख देना कि दावा नम्बरी 317 सन् 1978 में श्रीमती राधादेवी मददायलहा को मालिक माना गया है कतईस खिलाफ लिखा गया है क्योकि अदालत मातहत ने दाखिल शुदा फैसलों को माना गया बल्कि आराजी निजाई आम मुस्लिमों के ताजिया रखने की आराजी मानी गयी है। इससे भी स्पष्ट होता है कि अदालत मातहत ने रेस्पोन्डेन्ट से साज करके पहले दिये गये फैसलो के खिलाफ अपना फैसला सुनाया है जोकि खिलाफ कानून व सबूतों के है।अदालत मातहत द्वारा अपना फैसला गुण दोष के आधार पर नही सुनाया गया है बल्कि एक बहुत छोटा सा फैसला खिलाफ कानून सुनाया गया है। अदालत मातहत ने सभी तनकीहात (इस्यूज) को एक साथ ही फैसला कर दिया है जब कि सभी तनकीहात अलग अलग फैसले की जानी चाहिए इससे स्पष्ट है कि अदालत मातहत ने अपना फैसला अपने मनमाने तरीके से खिलाफ कानून व प्रवाधान के सुनाया है । मिसिल पर मौजूद सबूतों से यह स्पष्ट है कि रेस्पोन्डेन्ट द्वारा जो बैनामाजात अपने मकानात के दाखिल किये गये है वह बैनामाजात आराजी निजाई के बजानिव पश्चिम मकानात के हैं तथा उन बैनामाजात से भी यह स्पष्ट है कि आराजी निजाई आम मुस्लिमों के ताजिया रखने की आराजी है तथा श्रीमती राधादेवी पत्नी महेन्द्रपाल ने पूर्व मालिकान से बैनामा कराये है उनके बैनामाजात भी आराजी निजाई आम मुस्लिम की ताजिया राने की

आराजी लिखी है , लेकिन अदालत मातहत ने न तो दाखिल सुदा पूर्व बैनामाजात और नही श्रीमती राधादेवी के हक में किये गये बैनामा को सही रूप से पढ़ा है और न ही बैनामाजात और नही श्रीमती राधादेवी के हक में किये गये बैनामा को सही रूप से पढा है और न ही बैनामाजात का सही अर्थ निकाला है इससे स्पष्ट है कि अदालत मातहत ने जानबूझकर किसी सबूत पर गौर किये बिना रेस्पोन्डेन्ट से साज करके अपना एक तरफा फैसला अपने मनमाने तरीके से खिलाफ कानून व प्रावधान के सुनाया है। मिसिल पर मौजूद हर सबूत व बयानों से साबित होता है कि आराजी निजाई सरिया से ताजिया रखने की आराजी है जो कि मौके पर खाली पड़ी है लेकिन अदालत मातहत द्वारा न तो सबूतों को देखा गया और न ही बयानों को पढ़ा गया है और न ही उन पर गौर दिया गया है इससे स्पष्ट है कि अदालत मातहत ने रेस्पोन्डेन्ट से साज करके अपने पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाकर अपना फैसला सुनाया है। दावाहाजा नम्बरी 112 सन् 2003 की असलत मददायलहा श्रीमती राधादेवी दौरान–ए–दावा फौत हो गयी थी तथा अब इस समय रेस्पोन्डेन्ट ही श्रीमती राधादेवी के कानूनी वारिसान है इसलिये यह अपील कानूनी वारिसानहोने के नांते रेस्पोन्डेन्ट के खिलाफ दायर की जा रही है। दावा हाजा हुक्म इम्तनाई दवामी (परमानेन्ट इन्जक्शन)का है जिसमें कब्जा तय किया जाना जरूरी होता है कि लेकिन अदालत मातहत ने कब्जा अपने फैसले में कही भी तय नही किया है वनीज गलत नतीजा निकाला है। मिसिल पर मौजूद सबूत व बयानों से साफ है कि आराजी निजाई मौके पर खाली पड़ी है क्योंकि उस पर ताजिया रखे जाते है तथा आराजी के वजानिव पश्चिम व उत्तर रेस्पोन्डेन्ट के बैनामाजात से खरीदे गये मकानात की गैलरी व मकानात तमीरात चले आ रहे है अगर आराजी निजाई के मालिकान रेस्पोन्डेन्ट होते तो आराजी निजाई खाली न होती है क्योंकि साल में एक बार मौहर्रम के माह में ताजिया रके जाते है इसलिये आराजी निजाई मौके पर खाली पड़ी रहती है आदलत मातहत ने इस तथ्य की ओर कोई भी गौर नही किया है वनीज गलत नतीजा निकाला है। मिसिल पर मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य से यह अम्र बखूबी साबित है कि आराजी निजाई आम मुस्लिम की ताजिया रखने की आराजी है जिस पर रेस्पोन्डेन्ट का कोई भी मालिकान हक नही है लेकिन अदालत मातहत ने इस ओर कोई गौर नही दिया है तथा अपना मनमाना व पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाते हुए खिलाफ कानून फैसला दिया है। मिसिल पर मौखिक व प्रलेखीय सबूतों से अपीलाण्ट्स का दावा हर हालत में डिक्री किया जाना चाहिए था लेकिन अदालत मातहत ने पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाते हुए खिलाफ कानून फैसला दिया है। दावा हाजा नम्बरी 112 सन् 2003 अब्दुल अजीज आदि बनाम श्रीमती राधादेवी (अब उसके कानूनी वारिसानी)में व अदालत प्रथम अति० सिविल जज जूनि०

डिवी० फिरोजाबाद का फैसला व डिक्री दिनांक 16.09.2022 हर हालत में सैट–ए–साइड किया जाना कानूनन व इंसाफन अहम जरूरी है। अतः प्रार्थना की है कि दावा हाजा नं० 112 सन् 2003 अब्दुल अजीज आदि बनाम श्रीमती राधादेवी में पारित फैसला व डिक्री दिनांकित 16.09.2022 हर हालत में निरस्त कर अपीलान्ट्स की अपील को मय हर्जा खर्चा स्वीकार की जाए।

3– वादीगण/रेस्पाण्डेन्टस द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष मूलवाद संख्या 112/2003 अब्दुल अजीज आदि बनाम मुसम्मात राधादेवी आदि प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध इस अभिकथन के साथ दायर किया गया कि वादीगण का वादपत्र में कथन है कि वादीगण हस्बजैल परदाज है । दावा हाजा में मसला आम मुस्लिमों की जायदाद का है इसलिए दावा हाजा आम अवाम की ओऱ से प्रतिनिधि क्षमता में दायर किया है और अगर कोई व्यक्ति पक्षकार बनना चाहे तो बन सकता है। वादीगण को कोई एतराज नही होगा। वादीगण कस्बा शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद के कदीमी वासिंदगान है तथा मुस्लिम धर्म में आस्था रखते हैं । मुददयालहम एक मकान जिसको नक्शा नजरी अर्जीदावा में अक्षर ए०बी०सी०डी०ई०एफ० से प्रदर्शित कि.या गया है के मोहल्ला गढैया कस्बा शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद मालिक है। मुददायलहम के माकन के जानव दक्षिण दुर्ग सिहं का मकान है जिसको नक्शा नजरी संलग्न वाद पत्र में ए०जे०एल०एम० से प्रदर्शित किया गया है जिसका सदर दरवाजा डी,वजानिव पूरब आम रास्ता में खुलता है। मुददायलहम का मकान ए०बी०सी०डी०ई०एफ० पहले मुस्लिम विरादरी की जायदाद थी लेकिन बाद मे मकान हाजा मुददायलहाने खरीद लिया गया । मकान खरीदने के बाद मुददायलहा ने तमीरात कर ली है तथा मुददायलहम के मकान के दरवाजा डी1 डी2 वजानिब पूरब व डी 3 वजानिब दक्षिण तीन फीट चौडी गैलरी जिसे नक्शानजरी वाद पत्र में अक्षर डी०ई०एफ०जी० एच०आई० से होकर मुददायलहा अपने मकानात में आमरास्ता से आती जाती है। जायदाद निजाई जिसको नक्शा नजरी वादपत्र में अक्षर जी०एच० आई०जे० से प्रदर्शित किया गया है । वाके मौहल्ला गढैया शिकोहाबाद में आम मुस्लिमों की जायदाद है। जायदाद निजाई जी०एच०आई०जे० 14 फीट 07 इंच चौडी व इतनी ही लम्बी है जिस पर मुददईयान के मूरिस दर मूरिस जमानसे ताजिये रखते चले आ रहे हैं। मुददईयान के अरसा दराज से बहुत पुराने अरसे से जायदाद निजाई पर ताजियदारी ऱखकर अपने धार्मिक आयोजन हर वर्ष आयोजित करते हैं। जायदाद निजाई जी०एच० आई०जे० धार्मिक स्थल है तथा आम मुस्लिमों की धार्मिक भावनाएं उससे जुड़ी हैं। हर साल की तरह इस साल भी मुस्लिम जायदाद निजाई पर ताजिया रखकर धार्मिक कारय पूरे करेगें। जायदाद निजाई

के वजानिब उत्तर व पश्चिम जो कि मुददायलहा व दुर्ग सिंह के आने जाने की गैलरी थी को लेकर मुददायलहा व दुर्ग सिंह ने माननीय न्यायालय में एक सिविल वाद दायर किया जिसके निर्णय में भी जायदाद को ताजिया की एक मुश्तका जायदाद माना गया। मुददायलहा व उसका पति एक चालाक मुकदमेबाज व्यक्ति है क्योंकि मुददायलहा का पति कलैक्टर कार्यालय में बाबू रह चुका है इसलिए मुददायलहा इस समय मुददईयान को धमकी देती है कि वह जायदाद निजाई पर मुददईयान व मुस्लिम समाज को ताजिया रखकर धार्मिक आयोजन नहीं करने देगी । मुददायलहा को जायदाद निजाई जी० एच० आई० जे० पर मुददईयान व मुस्लिम समाज को ताजिया रखने से रोकने व धार्मिक आयोजन एवं भावनाओं को ठेस पहुचाने का कोई हक नहीं है। मुददायलहमा का इरादा आम मुस्लिम जगह को अपने मकान में मिलाकर नाजायज कब्जा करने का है। जिसका कि कोई हक हासिल नहीं है। मुददईयान ने मुददायलहम से दिनांक 10.03.2003 को कहा व कहलवाया कि वह जायदाद निजाई जी०एच०आई०जे० पर मुददईयान तथा आम मुस्लिम आवाम को ताजियादारी करने से व धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से बाज रहे तथा ताजिया की जगह पर नाजायज कब्जा करने से बाज रहे मगर वह मुतवज्नह नही होते है मजबूरन मुददईयान नालिशी है। अतः वादीगण ने मजबूरन यह वाद योजित किया है।

4— विद्धान विचारण न्यायालय में प्रतिवादीगण/रेस्पोन्डेन्ट्स की ओर से 26 क जबाबदावा दाखिल कर वादपत्र के कथनों को अस्वीकार करते हुए अतिरिक्त कथनों में कहा है कि प्रतिवादिनी ने एक मकान वशीर से दिनांक 14.05.1965 में क्रय किया था। उसे वशीर ने एक हिन्दू कल्लू नाम के व्यक्ति से क्रय किया था। मकान का बैनामा राधा देवी ने दिनांक 23.01.1978 को जवाहर लाल से कराया था। यह कहना गलत है कि विवादित जगह वादीगण का ताजिये का चबूतरा है इस पर प्रतिवादिनी के पेड़ अजकिस्म अमरूद ,कनेर,चम्पा ,चांदनी व अन्य पौधे लगे हैं गमले में रखे हैं। उठने बैठने के काम आता है । विवादित भूमि आम मुस्लिमों की जायदाद नहीं है न किसी का कोई सम्बन्ध है न कभी कब्जा रहा है। विवादित भूमि पर कोई ताजिये नहीं रखे जाते हैं। और न यहां कोई वक्फ है। यह सार्वजनिक जगह है। वादिनी की जानकारी में कभी ताजिये विवादित भूमि पर नहीं रखे गये हैं। दुर्ग सिंह से मुकदमा चला परन्तु मुसलमानों की जगह नहीं मानी गयी। उसमें से दुर्ग सिंह की जो जगह मानी गयी वह उसने अपने मकान में शामिल कर ली थी। इस समय प्रतिवादिनी ही उस पर काबिज व दखील है। वाद संख्या 317/1978 राधा देवी बनाम नूर मुहम्मद आदि न्यायालय मुंसिफी शिकोहाबाद के यहां से दिनांक 31.08.1981 को निर्णीत हुआ। जिसमें विवादित भूमि को प्रतिवादिनी का चबूतरा माना गया।

प्रतिवादिनी ने जो बैनामा कराया था उसमें भी चौक –चूबतरा प्रतिवादिनी लिखा है। वादीगण का वाद प्रतिवादिनी को परेशान करने की नीयत से दायर किया गया है। अतः दावा खारिज करने योग्य है।

5– विद्वान विचारण न्यायालय में उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर निम्न लिखित वाद बिन्दु विरचित किये–

1– "क्या विवादित भूमि जो कि नक्शे नजरिये में जी० एच०आई० जे० से प्रदर्शित किया गया है आम मुस्लिमों के ताजिया रखने का स्थल है"?

2–"क्या प्रतिवादिनी विवादित सम्पत्ति की स्वामिनी है"?

3– "क्या प्रतिवादिनी को उक्त सम्पत्ति में किसी प्रकार का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त है"?

4–"क्या विवादित सम्पत्ति प्रतिवादिनी का चबूतरा है"?

5– "क्या वाद का मूल्यांकन कम हुआ है"?

6– "क्या अदा किया गया शुल्क अपर्याप्त है"?

7–"क्या वादीगण किसी अनुतोष को पाने का अधिकारी है"?

6– विद्वान विचारण न्यायालय में वादीगण/अपीलान्ट्स की ओर से अपने कथनों के समर्थन में प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में फेहरिस्त 41 ग से मूलवाद संख्या 278/1971 किशोरीलाल बनाम ऱाधा देवी नकल दावा छायाप्रति कागज संख्या 42ग/1 लगायत 42ग/3 ओ०एस० 278/1971 किशोरीलाल बनाम राधा देवी बयान तहरीरी छायाप्रति कागज संख्या 43ग/1 लगायत 43ग/2 ओ०एस० 278/1971 छायाप्रति निर्णय़ दिनांक 26.02.1975 कागज संख्या 44ग/1 लगायत 44ग/3 ,वाद संख्या 317/78 राधा देवी बनाम नूर अहमद आदि वाद पत्र छायाप्रति कागज संख्या 45ग/1 लगायत 45ग/4 ,वाद संख्या 317/78 राधा देवी बनाम नूर अहमद आदि नकल निर्णय दिनांकित 31.08.1981 छायाप्रति कागज संख्या 46ग/1 लगायत 46ग/7 सिविल अपील 196/81 नूर अहमद बनाम राधा देवी निर्णय दिनांकित 25.01.1985 सत्यप्रतिलिपि कागज संख्या 47ग/1 लगायत 47ग/3 वाद संख्या 317/78 राधा देवी बनाम नूर अहमद निर्णय़ दिनांक 26.02.1988 प्रतिलिपि कागज संख्या 48ग/1 लगायत 48ग/14 सिविल अपील 67/89 राधा देवी बनाम नूर अहमद निर्णय दिनांक 28.01.1998 छायाप्रति कागज संख्या 49ग/1 लगायत 49ग/6 ,वाद संख्या 317/78 राधा देवी बनाम नूर अहमद आदि बैनामा छाया प्रति कागज संख्या 50ग/1

लगायत 50ग/3 एक किता नकल बैनामा दिनांकित 02.08.1976 कागज संख्या 51ग/1 लगायत 51ग/4 एक किता नकल बैनामा दिनांकित 23.01.1978 कागज संख्या 52ग/1 लगायत 52 ग/3 दाखिल किये है। फेहरिस्त कागज संख्या 56 ग से एक किता नकल बैनामा दिनांकित 07.09.1937 कागज संख्या 57 ग,एक किता नकल बैनामा हिन्दी में ,एक किता नकल बैनामा उर्दू दिनांकित 09.10.1944 कागज संख्या 58 ग ,एक किता हिन्दी बैनामा दाखिल किये गये हैं। गवाह के रूप में PW-1 अब्दुल अजीज, PW2 अल्ताफ की साक्ष्य अंकित की गयी है।

7- विद्वान विचारण न्यायालय में प्रतिवादीगण/रेस्पोन्डेन्ट्स की तरफ से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में फेहरिस्त 218 ग से एक किता नकल बैनामा दिनांकित 14.04.1965 द्वारा बशीर अहमद बनाम राधा देवी कागज संख्या 219 ग,एक किता नकल बैनामा दिनांकित 21.01.1978 द्वारा जवाहर लाल बनाम राधा देवी कागज संख्या 220 ग एक किता नकल आदेश वाद संख्या 252/88 नूर मुहम्मद आदि बनाम राधा देवी कागज संख्या 221 ग दाखिल किये गए हैं। गवाह के रूप में DW1 गजेन्द्र पाल सिंह, DW2 अशोक कुमार दुबे की साक्ष्य अंकित की गयी है।

8- विद्वान विचारण न्यायालय ने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनकर प्रस्तुत साक्ष्य एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का विश्लेषण करने के उपरान्त दिनांक 16.09.2022 को निर्णय/आदेश पारित किया कि ''**दावा वादी खारिज किया जाता है**। उभय पक्ष अपना अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।"

09- मैने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना।

उभय पक्षों के अभिकथनों, तर्को एवं आधार अपील के आधार पर अपील के निस्तारण हेतु निम्नलिखित अवधार्य बिन्दु निर्मित किये जाते हैं-

1- क्या विवादित सम्पत्ति जिसे वादपत्र के नक्शा नजरी में G, H, I, J से प्रदर्षित किया गया है आम मुस्लिमों के ताजिया रखने का स्थान है?

<u>निस्तारण अवधार्य बिन्दु संख्या -1</u>

यह अवधार्य बिन्दु इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या विवादित सम्पत्ति जिसे वादपत्र के नक्शा नजरी में G, H, I, J से प्रदर्शित किया गया है आम मुस्लिमों के ताजिया रखने का स्थान है?

इस सम्बंध में यदि वाद पत्र का अवलोकन किया जाये तो अपीलान्ट/वादी ने अपने वाद पत्र में यह कथन किया है कि जायदाद निजाई जिसको नक्शा नजरी वाद पत्र में अक्षर जी, एच, आई, जे से प्रदर्शित किया गया

है। वाकई मुहल्ला गढ़ैया शिकोहाबाद में आम मुस्लिमों की जायदाद है। जायदाद निजाई G.H.I.J. 14 फीट 07 चौड़ी व इतनी ही लम्बी है। जिस पर मुद्दईयान मूरिस दर मूरिस जमाने से ताजिया रखते चले आ रहे हैं। मुद्दईयान के अरसा दराज से बहुत पुराने अरसे से जायदाद निजाई पर ताजियादारी रखकर अपने धार्मिक आयोजन करते चले आ रहे थे तथा आज भी इसी जायदाद पर ताजिये रखकर धार्मिक आयोजन हर वर्ष करते हैं। जायदाद निजाई G.H.I.J. धार्मिक स्थल है तथा आम मुस्लिमों की धार्मिक भावनाएं उससे जुड़ी हैं। हर साल की तरह इस साल भी मोहर्रम का पर्व आ रहा है इसलिए हर साल की तरह इस साल भी मुस्लिम जायदाद निजाई पर ताजिया रखकर धार्मिक कार्य पूरा करेंगे जायदाद निजाई के बजानिब उत्तर व पश्चिम जो मुद्दायलहा व दुर्ग सिंह के आने जाने की गैलरी थी को लेकर मुद्दायलहा व दुर्ग सिंह से माननीय न्यायालय में एक सिविल वाद चला जिसमें निर्णय हुआ उक्त निर्णय में भी जायदाद को ताजिया की मुस्तरका जायदाद माना गया।

10– अपने अभिकथनों को साबित करने के लिए अपीलार्थीगण/वादीगण ने बेसिस आफ सूट के रूप में न्यायालय मुंसिफ शिकोहाबाद जिला मैनपुरी द्वारा वाद संख्या 317/2018 राधा देवी बनाम नूर अहमद आदि में पारित निर्णय़ दिनांक 31.08.1981 के प्रति तथा उक्त निर्णय के विरुद्ध दाखिल अपील संख्या 196/1986 नूर अहमद तथा अन्य बनाम श्रीमती राधा देवी व अन्य की प्रति दाखिल की है । उक्त अपील न्यायालय चतुर्थ अतिरिक्त जिला जज मैनपुरी द्वारा दिनांक 25.01.1985 को निर्णीत किया गया। उक्त दोनों निर्णयों के पठनीय नकलें पत्रावली पर क्रमशः 46 ग/1 लगायत 46 ग/7 तथा 47 ग/1 लगायत 47 ग/7 है। बेसिस आफ सूट के रूप में इन नकलों को दाखिल करना यह साबित करता है कि मूलवाद संख्या–317/2018 राधा देवी बनाम नूर अहमद तथा वर्तमान मूलवाद में वादग्रस्त सम्पत्ति एक ही है । तभी तो वादी ने बेसिस आफ सूट के रूप में दाखिल किया है। यदि इन प्रपत्रों को देखा जाये तो मूल वाद संख्या 317/2018 राधा देवी बनाम नूर अहमद में न्यायालय द्वारा दिनांक 31.08.1981 को निर्णय़ पारित करते हुए वादग्रस्त भूमि के बाबत वादी का वाद डिक्री कर दिया। उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील 196/1981 नूर अहमद आदि बनाम राधा देवी तथा अन्य संस्थित की गयी।जिसमें अपीलीय न्यायालय ने अपील को स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय के निर्णय को अपास्त कर दिया तथा पत्रावली विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कर दी कि अपील में दिये गये मत के प्रकाश में विधिपूर्ण आदेश पारित करें। रिमाण्ड होकर पत्रावली प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय द्वारा मूलवाद संख्या 317/1978 श्रीमती राधा देवी बनाम नूर अहमद तथा अन्य में दिनांक 26.02.1988 को निर्णय़ पारित किया ।

जिसमें न्यायालय द्वारा विवादित सम्पत्ति का स्वामिनी वादिनी को नहीं माना और वादिनी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया तथा मकान दुर्ग सिंह के उत्तर 7 फीट 4 इंच तक यानि उस स्थान तक जहाँ तक नींव होना कहा गया है ,दुर्ग सिंह का कब्जा है औऱ सबसे ऊपर ओऱ तीन फीट चार इंच गली है तथा इन दोनो स्थानो के मध्य में जो चौक है उसमें श्रीमती ऱाधा देवी का कब्जा है तथा शेष के सम्बन्ध में वादिनी की याचना निरस्त कर दी। इस निर्णय को राधा देवी द्वारा सिविल अपील संख्या 67 सन् 1989 श्रीमती देवी बनाम नूर मोहम्मद आदि के माध्यम से चुनौती दी गयी । उक्त अपील दिनांक 28.01.1998 को निरस्त कर दी गयी। ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि मूलवाद संख्या 317/1978 राधा देवी बनाम नूर अहमद बनाम आदि में पारित निर्णय दिनांकित 26.02.1988 को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी गयी जिस कारण से विवादित भूमि के सम्बन्ध में यह आदेश अन्तिम हो गया और इस निर्णय़ में विचारण न्यायालय द्वारा यह निर्धारित कर दिया गया था कि बीच वाले चौक में ताजिया नहीं रखे जाते । इस लिहाज से तो उक्त निर्णयों से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण जिस भूमि को ताजिया रखने की जगह कहते हैं वह उक्त निर्णयों से साबित नहीं होती बल्कि उनके विरुद्ध ही जाती है।

11– अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा यह मूलवाद संख्या 112/2003 मूलरूप से राधा देवी के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा हेतु दाखिल किया गया था। अतः अपीलार्थीगण/वादीगण पर ही यह साबित करने का भार था कि वह साबित करें कि विवादित भूमि वास्तव में ताजिया रखने का स्थान था किन्तु इस सम्बन्ध में पत्रावली पर ऐसा कोई भी अभिलेख नहीं है ,जिससे यह साबित हो सके कि वास्तव में वह स्थान ताजिया रखने का है। वादीगण/अपीलार्थीगण यदि चाहते तो इस बाबत नगरपालिका का अभिलेख दाखिल कर सकते थे जिससे यह स्पष्ट हो जाता कि वास्तव में वह जमीन ताजिया रखने के लिए छोड़ी गयी थी या अन्य कोई सरकारी अभिलेख भी इस बाबत दाखिल कर सकते थे। किन्तु उनके द्वारा ऐसा कोई भी सरकारी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिसमें विवादित भूमि ताजिया रखने के स्थान के नाम पर दर्ज हो। इसके अतिरिक्त ताजिया रखने का तथ्य एक ऐसा तथ्य है जिसका कि रिकॉर्ड पुलिस अभिलेख में भी होता है। चूँकि पुलिस वाले त्योहार का रजिस्टर रखते हैं वादीगण यदि चाहते तो उक्त रजिस्टर को तलब करवा सकते थे किन्तु उनके द्वारा वह रजिस्टर तलब नहीं कराया गया न ही उसकी कोई नकल दाखिल की गयी। इससे तो यही निष्कर्ष निकलता है कि यदि वह अभिलेख तलब कराया गया होता तो वह वादीगण के विरुद्ध जाता इसलिए उन्होंने तलब नहीं कराया । इस सम्बन्ध में जब पी०डब्लू० 1 को परीक्षित कराया गया तो उसने अपनी जिरह में कहा कि विवादित जगह पर नगरपालिका में किसके नाम दर्ज है मुझे नहीं मालूम, मैने

नगरपालिका का ऐसा कोई कागज दाखिल नहीं किया है जिसमें यह जगह ताजिया की दर्ज हो । वादीगण/अपीलार्थीगण द्वारा इस प्रकार का कोई प्रपत्र दाखिल न करना यह दर्शित करता है कि यदि वह दाखिल करते तो यह उनके विरुद्ध जाता इसलिए उन्होने दाखिल नहीं किये ।

12– इसके अतिरिक्त वादीगण द्वारा ताजिया रखने की जमीन को एक विशिष्ट नाप का बताया गया है। 14 फीट 7 इंच चौड़ी व इतनी ही लम्बी बताया है। यहाँ पर यह प्रश्न भी उठना स्वाभाविक है कि ताजिया रखने की यह जमीन आयी कहाँ से। इस बारे में वादी का वादपत्र मौन है। वह एक निश्चित माप की भूमि पर निषेधाज्ञा चाह रहे हैं तो कहीं न कहीं इसका उल्लेख होगा कि 14 फीट 7 इंच X 14 फीट 7 इंच की जमीन किसके द्वारा दी गयी या कहाँ यह दर्ज है। जो एक विशिष्ट माप की भूमि पर निषेधाज्ञा चाहा जा रहा है। इस बारे में अपीलार्थीगण/वादीगण कुछ बताते नहीं अतः इस विशिष्ट माप की भूमि पर कोई भी निषेधाज्ञा कैसे दिया जा सकता है। अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा जो विधि व्यवस्थाएं अपने अपील के समर्थन में दी गयी है यदि उन्हें देखा जाये तो उनमें सबसे पहले सम्सुद्दीन (मृतक) जरिये विधिक प्रतिनिधि तथा अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य बजरिये कलेक्टर जौनपुर 2012(91) A.L.R. 717 इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्ति किया कि Graveyard — vested in the Gram Samaj– Gram Samaj has got no right to use the graveyard in any way which is not in conformity with the mohammadan law of waqfs – Trees planted in graveyard for shade — Property of God –Gram Samaj not permitted to use it for any other purpose — Such land vested in God not to be devested by any user .यदि इस विधि व्यवस्था को देखी जाये तो श्मशान ग्राम समाज में निहित होता है और ग्राम समाज इसका उपयोग अन्य प्रयोजनो के लिए करने की अनुमति नहीं दे सकता है। क्या अपीलार्थीगण/वादीगण प्रस्तुत प्रकरण में यह साबित कर सके हैं कि यह राज्य में निहित सम्पत्ति है । वह तो यह भी नहीं साबित कर सके कि कैसे यह ताजिया रखने की भूमि है क्योंकि इसके बाबत उनके द्वारा कोई सरकारी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया कहने का तात्पर्य यह है कि इस विधि व्यवस्था का लाभ अपालार्थीगण/वादीगण को नहीं मिलता है।इसी प्रकार अपीलार्थी की ओर से सोपन राव तथा अन्य बनाम सैय्यद महमूद तथा अन्य ए०आई०आर० 2019 सुप्रीम कोर्ट 3113 की विधि व्यवस्था का हवाला दिया गया। इस मामले में माननीय न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि Suit for declaration of title and possession –suit property allegedly belonging to the dargaah handed over to trust by government plantiffes ,successer of

original mutawali of suit property assistant chariety commisioner by its orders passed in year 1973 allowed change report filed on behalf of trust without issuing any notice to –Govt. Handed over possession of suit property to Trust only on basis of said order — No evidence ot show that land was entered in name of Trust prior to year 1973– plantiffs proved that suit property was grantted to dargaah for back in year 1915 –order of highcourt holding that land originally belongs to dargaah based on evidence , not interfered with . यदि इस विधि व्यवस्था के प्रकाश में प्रस्तुत प्रकरण को देखा जाये तो विधि व्यवस्था वाले मामले में वादी ने यह साबित किया था कि वादग्रस्त सम्पत्ति दरगाह को वर्ष 2015 अनुदान में दी गयी थी । जबकि प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा यह साबित नहीं किया जा सका है कि वादग्रस्त सम्पत्ति ताजिया रखने के लिए दी गयी थी। कहने का तात्पर्य यह है कि इस विधि व्यवस्था का लाभ भी अपीलार्थीगण/वादीगण को नहीं मिलता है।

13– इसके अतिरिक्त प्रश्नगत सम्पत्ति वादीगण/अपीलार्थीगण को अनुदान में मिली या किसी के द्वारा दान में दी गयी थी या वक्फ बनाया गया था या जबानी धार्मिक कार्य हेतु इस जमीन को दिया गया था। इस बात का भी उल्लेख वाद पत्र में नहीं है और न ही इस बाबत कोई साक्ष्य ही पत्रावली पर उपलब्ध है। तो प्रश्नगत जमीन कहाँ से ताजिया रखने के लिए आयी यह साबित नहीं है। यह तथ्य भी अपीलार्थीगण/वादीगण के विरुद्ध जाता है।

14– अपीलार्थी/वादीगण के द्वारा कागज सं० 57क बैनामा दिनांकित 07.09.1937 जो फखरूद्दीन द्वारा कल्लू को किया गया का हवाला दिया गया, उनके द्वारा कहा गया कि अगर इस बैनामे के चौहद्दी देखी जाये तो इसमें अंकित है कि पूरब दरवाजा मकान मुअइया व चौक रखने ताजिया व मकान हरपाल कुम्हार अंकित है। इसी प्रकार उनके द्वारा कागज संख्या 58ग का हवाला दिया गया जो बैनामा दिनांकित 19.10.1944 है । जो कल्लू ने बशीर को किया इसकी भी पूर्वी चौहद्दी में यह अंकित है कि पूरब दरवाजा मकान मुअइया व रास्ता व चबूतरा अंकित है। उनके द्वारा कागज संख्या 219ग का हवाला दिया गया जो बैनामा दिनांकित 14.04.1965 है जो बशीर द्वारा कल्लू के पक्ष में किया गया । इसकी चौहद्दी इस प्रकार है – पूरब सदर दरवाजा आगे चौक मुत्तल्लिका मकान मजकूर बादहूं सड़क ,पश्चिम मकान साहब सिंह व देशराज ,उत्तर आराजी कयूम वगैरह ,दक्षिण मकान बुराशाय कल्लू व बुराशाय मकान हरदयाल है । इसी आधार पर उनके द्वारा कहा गया कि फखरूद्दीन ने बैनामा कल्लू को किया औऱ कल्लू ने उसी जमीन का बैनामा बशीर को किया इन

दोनों में पूरब की चौहद्दी में पूरब की ओर दरवाजा मकान मुअइआ के पहले चौक रखने ताजिया लिखा हुआ है। इसी आधार पर यह भी कहा गया कि राधा देवी ने गलत चौहद्दी से बैनामा करा लिया क्योंकि चौक का स्वामित्व बशीर को था ही नही तो वह कैसे बेच सकता था। और उनके द्वारा यह भी कहा गया कि जन बैनामों का उल्लेख ऊपर किया गया है उनमें पूरब तरफ ताजिया रखने का चबूतरा था।

15– इसी प्रकार अपीलार्थी/वादीगण की ओर से कहा गया कि किशोरी लाल ने यह जमीन अब्दुल कयूम से प्राप्त किया था । उक्त बैनामा कागज संख्या 50 क के रूप में मूलवाद की पत्रावली में उपलब्ध है ,जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि यह बैनामा 02 जून 1966 को किया गया था। जिसकी चौहद्दी में पूरब दरवाजा व गली मुतालिका मकान ता सड़क व चौक जो मुस्तरका है बादहूं रास्ता व सड़क सरकारी अंकित है। इसी प्रकार उनके द्वारा कागज संख्या 51 क का हवाला दिया गया। जो बैनामा दिनांकित 02.08.1976 की नकल है, जो किशोरी लाल ने जवाहर लाल को किया था। जिसकी पूरब की चौहद्दी में लिखा है कि पूरब की तरफ विक्रीत मकान का दरवाजा व सामने एक चौक है जो पंचायती है। जिसका विक्रय करने का हक किसी को नहीं होगा। जिस पर ताजिया रखा जाता है । इसी प्रकार उनके द्वारा कागज संख्या 52 ग का हवाला दिया गया जो बैनामा दिनांकित 23.01.1978 है, जो जवाहर लाल ने राधा देवी को दिया। इसमें चौहद्दी पूरब चौक श्रीमती राधा देवी अंकित है। इन्ही सबके आधार पर अपीलार्थी/वादीगण की ओऱ से कहा गया कि इन सबसे यह साबित है कि प्राचीन काल से विवादित स्थल पर ताजिया रखा जाना इससे साबित होता है ।

16– इस सम्बन्ध में न्यायालय का मत यह है कि यदि इन सबका मूल्यांकन किया जाय तो अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा तथ्यों को छिपाया जा रहा है। उनके द्वारा जिस पहले बैनामे का हवाला दिया गया है वह 1937 का है जो कागज संख्या 57 क है । जो बैनामा फखरूद्दीन द्वारा कल्लू को किया गया। जिसकी पूर्वी चौहद्दी में पहली बार यह बात आयी कि पूरब दरवाजा मकान मुअइया व चौक रखने ताजिया व मकान हरपाल कुम्हार अंकित है। अपीलार्थी/वादीगण इस बात को छिपा गये कि फखरुद्दीन ने यह जमीन कहाँ से प्राप्त की। इस बात का उत्तर मूलवाद संख्या 317/1978 राधा देवी बनाम नूर अहमद आदि के निर्णय दिनांकित 26.02.1988 से होता है ,जो पत्रावली पर कागज संख्या 48 ग है। जिसकी नकल स्वयं अपीलार्थी/वादीगण द्वारा बेसिस ऑफ सूट के रूप में दाखिल किया गया है। यद्यपि की पी०डब्लू०–1 के रूप में अजीज ने अपनी जिरह में यह कहा है कि मुझे नहीं मालूम कि राधा देवी का कोई मुकदमा नूर अहमद से चला है। किन्तु न्यायालय के मत में अजीज झूंठ

बोल रहे हैं। क्योंकि उनके द्वारा ही उक्त सारे निर्णयों की नकले दाखिल की गयी हैं तो कैसे यह कहा जा सकता दिनांकित है कि उन्हें राधा देवी बनाम नूर अहमद के मुकदमे की जानकारी नहीं है।उन्हीं के द्वारा तो उक्त मुकदमे से सारी नकले लेकर वर्तमान मुकदमें में वादाधार के रूप में दाखिल की गयी हैं। इसके अतिरिक्त वादी की जिरह में यह भी आया है कि इस जगह के बाबत राधा देवी बनाम नूर अहमद का मुकदमा चला था। इस मुकदमें में मेरी झगड़े वाली जगह शामिल थी। इस मुकदमें में नूर मुहम्मद ,अब्दुल रज़ाक ,मुहम्मद इकराम ,अब्दुल रशीद भी शामिल थे तथा दुर्ग सिंह भी शामिल थे। जिरह के इस अंश से यह स्पष्ट है कि इसी झगड़े वाली जमीन के बाबत नूर अहमद और राधा देवी के बीच मुकदमा चला जो मूलवाद संख्या–317/1978 राधा देवी बनाम नूर अहमद था ,जो दिनांक 26.02.1988 को निर्णीत हुआ जिसके पेज 20 में यह आया है कि कुदरत उल्लाह ने जब विक्रय विलेख फखरुद्दीन के नाम लिखा है उसमें पूरब ओर रास्ता आम लिखा है । इससे यह साबित होता है कि कुदरत उल्लाह द्वारा कोई भी वक्फ इस हेतु नहीं बनाया गया था। यदि कुदरत उल्लाह ने अपनी जमीन में ताजिया हेतु वक्फ बनाया होता तो वह निश्चित ही अपने मकान की चौहद्दी में पूरब ओर रास्ता आम न लिखकर इस बात की जिक्र अवश्य करता ।इस प्रकार कुदरत उल्लाह के जमाने से यानि 1935 से इस जमीन को ताजिया रखने के कार्य में प्रयोग होना साबित नहीं होता है।चूँकि एक सक्षम न्यायालय द्वारा यह निर्णीत किया जा चुका है। अतः वादीगण इससे बच नहीं सकते उन्होंने बाकी सब बैनामे का उल्लेख तो किया किन्तु यह नहीं बताया कि फखरूद्दीन ने किससे बैनामा प्राप्त किया था। क्योंकि यदि वह बताते तो उन्हें कुदरत उल्लाह का बैनामा दाखिल करना पड़ता और कुदरत उल्लाह का बैनामा दाखिल करते तो उसमें तो ताजिया रखने का कोई स्थान किसी तरफ भी नहीं दर्शाया गया है। इससे यह बात पूरी तरह से साबित है कि वास्तव में जिस जगह पर ताजिया रखने का स्थान वादीगण बताते हैं उस स्थान पर ताजिया रखने का स्थान था ही नहीं। उस स्थान पर व उस लंबाई–चौड़ाई में ताजिया रखने का कोई स्थान नहीं था। और वादीगण द्वारा इस तथ्य को जानबूझकर छिपाया गया जबकि साम्यिक अनुतोष चाहने वाले व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह स्वच्छ हाथों से आये । क्योंकि असाम्यिक कृत्य करने वाले को निषेधाज्ञा जैसा साम्यिक अनुतोष नहीं दिया जा सकता है।

17– इसके अतिरिक्त इन सारे बैनामों की विस्तृत चर्चा मूलवाद संख्या 317/1978 राधा देवी बनाम नूर अहमद आदि के मामले में पारित निर्णय दिनांकित 26.02.1988 में किया जा चुका है। जिनके आधार पर वाद बिन्दु संख्या 1 निर्णीत करते हुए उक्त न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष दिया गया कि राधा देवी विवादित भूमि की स्वामिनी नहीं हैं। और उसी में न्यायालय ने यह भी मत

व्यक्त किया कि 1933 से इस जमीन को ताजिया के कार्य में प्रयोग होना साबित नहीं होता । निर्विवाद रूप से मूलवाद संख्या 317/1978 में राधा देवी बनाम नूर अहमद में वादग्रस्त सम्पत्ति वर्तमान मुकदमें की ही सम्पत्ति थी इस बात को अपीलार्थी/वादीगण स्वीकार करते हैं। औऱ उक्त मूलवाद 317/1978 राधा देवी बनाम नूर अहमद के मामले में पारित निर्णय जो कि वादीगण द्वारा वादाधार के रूप में दाखिल किया गया है ,का अवलोकन किया जाय तो उसमें न्यायालय द्वारा राधा देवी को विवादित भूमि के अध्यासन में पाया गया औऱ उसका स्वामित्व विवादित भूमि पर नहीं पाया गया । अपीलार्थीगण की ओर से कथन किया गया कि जब राधा देवी विवादित भूमि की स्वामिनी ही नही थी, तो उसके पक्ष में शाश्वत व्यादेश कैसे प्राप्त कर सकती थीं। इस सम्बन्ध में न्यायालय का मत है कि यदि किसी व्यक्ति का अध्यासन किसी भूमि पर है तो वास्तविक स्वामी के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति को हस्तक्षेप करने से रुकवा सकता है। अब यदि प्रस्तुत प्रकरण में देखा जाये तो वादीगण यह साबित करने में विफल रहे हैं, कि विवादित भूमि प्राचीन काल से ताजिया रखने की भूमि के रूप में इस्तेमाल होती थी। तो उनके द्वारा राधा देवी को किस आधार पर रोका जा सकता है जो कि विवादित भूमि पर काबिज हैं।

18– इसके अतिरिक्त मामले में अमीन कमिश्नर की आख्या 13ग/2 पत्रावली पर उपलब्ध है। यदि उसका अवलोकन किया जाये तो अमीन ने विवादित स्थल को नक्शा नजरी में अक्षर ABCD के रूप में दर्शाया है। विवादित स्थल की भुजा CFEG पर पुख्ता ईंट की जमीन से 21 रद्दा ऊँची बनी पुख्ता ईंट की दीवारें खड़ी पायी गयी जिसके कुछ भाग CFEG पर चबूतरा सीमेंट बना पाया गया। शेष विवादित स्थल प्रतिवादी के सहन में समिल्लित पाया गया। जिसमें एक पेड़ चाँदनी व चम्पा खड़ा पाया गया। इस अमीन रिपोर्ट से विवादित भूमि पर राधा देवी का कब्जा पाया गया, साबित होता है। किन्तु इस अमीन रिपोर्ट के विरुद्ध कोई आपत्ति वादीगण की ओर से दाखिल नहीं किया गया था। इस सम्बन्ध में जब वादीगण से जिरह में पूछा गया तो उनके जिरह में आया है कि अमीन साहब मौके पर गये थे । अमीन की रिपोर्ट पर मैने कोई एतराज नहीं किया अमीन साहब से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। इस प्रकार वादी के जिरह से भी स्पष्ट है अमीन से उसकी कोई दुश्मनी नहीं है औऱ उसकी जिरह से यह भी स्पष्ट है कि अमीन साहब मौके से गये थे औऱ उसने अमीन की रिपोर्ट के विरुद्ध कोई आपत्ति दाखिल नहीं की। अमीन के रिपोर्ट के विरुद्ध कोई आपत्ति दाखिल न करना यह साबित करता है कि वादीगण अमीन की रिपोर्ट को सही मानते थे तभी तो उनकी रिपोर्ट के विरुद्ध आपत्ति दाखिल नहीं की गयी और य़दि अमीन रिपोर्ट को सही मानते थे तो उसके अनुसार भी कब्जा विवादित स्थल पर वादीगण का नहीं था अपितु प्रतिवादीगण का है।

19– उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना का निष्कर्ष यह है कि वादीगण विवादित सम्पत्ति जिसे वादपत्र के नक्शा नजरी में G,H,I,J से प्रदर्शित किया गया है आम मुस्लिमों के ताजिया रखने का स्थान का होना साबित करने में विफल रहे हैं। तदनुसार यह अवधार्य बिन्दु निर्णीत किया जाता है।

20– उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना का निष्कर्ष यह है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पूर्णतया विधिपूर्ण है और विधिपूर्ण होने के कारण विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पुष्ट किये जाने योग्य है। जबकि बलहीन होने के कारण दीवानी अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

दीवानी अपील संख्या 52 सन् 2022 अब्दुल अजीज बनाम पप्पू आदि निरस्त की जाती है।

विचारण न्यायालय द्वारा मूलवाद संख्या 112/2003 अब्दुल अजीज आदि बनाम मुसम्मात राधा देवी आदि में पारित निर्णय व डिक्री दिनांकित 16.09.2022 पुष्ट किया जाता है।

दिनांकः31-10-2025

(**सुनील कुमार सिंह–II**)
अपर जिला जज,
न्यायालय सं०-1,फिरोजाबाद।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित करके सुनाया गया।

दिनांकः31-10-2025

(**सुनील कुमार सिंह–II**)
अपर जिला जज,
न्यायालय सं०-1,फिरोजाबाद।